



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.11.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1047/22 धारा 294/354/504/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1047/22 धारा 294/354/504/506 भादवि व 7/8



पोक्सो एक्ट से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1-जुमादीन पुत्र जबरदीन निवासी नया गांव हमीदाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री सोमपाल सिंह कोतवाली बागपत।

2-है0का0 63 वीरेन्द्रपाल सिंह कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक 13.11.2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 1071/22 धारा 354/323/504/506/376
भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 1071/22 धारा 354/323/504/ 506/376 भादवि में वांछित एक अभियुक्त मोहलू पुत्र युनुस निवासी ग्राम बाम थाना बडौत जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 376 भादवि की वृद्धि हुई है ।

अभियुक्त का नाम पता:-

1.मोहलू पुत्र युनुस निवासी ग्राम बाम थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री अनूप कुमार ।
- 2-का० 413 आकाश सैनी ।
- 3-का० 984 दीपक शर्मा ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 13-11-2022

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 123/22 धारा 452/323/504/316

भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.05.22 को थाना बिनौली पर वादी अब्दुल गफ्फार पुत्र सत्तार निवासी जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण फरमूद पुत्र नूरहसन, वसीम पुत्र हनीफ व फरमूद की पत्नी निवासीगण जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा उसकी पत्नी व माता के साथ घर में घूसकर



गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 123/22 धारा 452/323/504 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 316 भादवि की वृद्धि की गई है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 123/22 धारा 452/323/504/316 भादवि में वांछित एक अभियुक्त फरमूद पुत्र नूरहसन

निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- फरमूद पुत्र नूरहसन निवासी ग्राम जहानगढ उर्फ दौझा थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- प्र०नि० सलीम अहमद थाना बिनौली ।

2- उ०नि०- श्री आरिफ अब्बास थाना बिनौली ।

3- का० 1041 प्रेमपाल थाना बिनौली ।

4- का० 988 निशान्त थाना बिनौली ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 13-11-2022

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान मे आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अकिंत पुत्र देशपाल निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा 315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना छपरौली।
- 2-का. 369 विशाल थाना छपरौली।
- 3-का0 434 मनीत थाना छपरौली।
- 4-का. 1028 मुरली थाना छपरौली।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 13.11.2022

थाना छपरौली पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारण्टी/ अभियुक्तों का नाम व पता-

1-सुग्रीव पुत्र जयसिंह नि0 ग्राम हेवा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

2-जगवीर पुत्र रामदीया निवासी ग्राम ककौर खुर्द थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1.उ0नि0 सत्यम जंघाला ।
- 2.उ0नि0 धीरज सिंह ।
- 3.का0 1020 वीनेश ।
- 4.का0 369 विशाल पंवार ।
5. का0 1028 मुरली ।
6. का0 434 मनीत ।



प्रेस नोट
थाना खेकड़ा

दिनांक 13.11.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गयी 01 स्प्लेण्डर मो0सा0, 02 अवैध छुरी व एक अवैध चाकू बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से दिल्ली से चोरी की हुई एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर ,02 अवैध छुरी व एक अवैध चाकू बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-फहीम पुत्र जमीर निवासी मौ0 मिरदानपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 2-आदिल पुत्र सलीम निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

3-फिरोज पुत्र शहजाद निवासी मौहल्ला मिरदानपुरा करबा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-सलमान उर्फ पठानी पुत्र यामीन निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार चारों अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि हम चारों ने मिलकर कई महीने पहले एक स्प्लेण्डर प्लस मो0सा0 रटौल के जंगल से तथा थाना चांदीनगर व थाना बागपत क्षेत्र के ट्यूबवेलों से मोटर व तार चोरी करने की घटना कारित की है तथा बरामद स्प्लेण्डर मोटर साइकिल हमने दिल्ली से चोरी की है।

बरामदगी का विवरण:-

- एक मो0सा0 हीरो स्प्लेण्डर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट । (सम्बन्धित मु0अ0सं0 014839/2021 धारा 379 भादवि क्राइम ब्रांच नई दिल्ली)
- 02 अवैध छुरी ।
- अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री मंजीत सिंह थाना खेकड़ा बागपत ।

2-उ0नि0 श्री कैलाश चन्द थाना खेकड़ा बागपत ।

3-का0 335 राकेश कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।

4-का0 1022 अजय कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।

5-का0 349 जितेन्द्र कुमार थाना खेकड़ा बागपत ।



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक 13.11.2022

थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-अंकुर उर्फ कुलदीप पुत्र वेदपाल उर्फ बेदू निवासी ग्राम बुढपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार ।
- 2-हे0का0 306 राजीव कुमार ।
- 3-का0 23 अजयपाल सिंह ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 13.11.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 320/2022 धारा 363/328/342/376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 320/22 धारा 363/328/342/376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- वाजिद पुत्र इद्दु निवासी ग्राम सोन्टी थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री संजीव कुमार ।
- 2- हे0का0 306 राजीव कुमार ।
- 3- का0 23 अजयपाल सिंह ।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 13.11.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 237/22 धारा 457/380/336/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए भैंस चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से भैंस बेचकर मिले 39,500/- रुपये नगद बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.11.2022 को थाना चांदीनगर पर वादी राजपाल पुत्र रामचन्द्र निवासी भगौट थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 06.11.2022 की रात्रि को उसके घर से दो भैंसों को अज्ञात चोरो ने चोरी कर लिया है । इस



सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 237/22 धारा 380 भादवि पंजीकृत किया गया ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 457/336/411 भादवि की वृद्धि की गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछितों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 237/22 धारा 457/380/336/411 भादवि का सफल अनावरण करते हुए भैंस चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भैंस बेचकर मिले 39,500/- रुपये नगद बरामद हुए हैं।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1.सलमान उर्फ मुजफ्फर पुत्र यामीन मोटा निवासी खिवाई थाना सरूरपुर जनपद मेरठ ।
2. इमरान उर्फ बिल्लोरी पुत्र हबीब मलिक निवासी ग्राम अछरौडा थाना परतापुर जिला मेरठ
हाल पता मौहल्ला अशोक विहार मदीना मस्जिद के पास करबा व थाना लोनी जनपद
गाजियाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री सुशील कुमार
- 2-है०का० 116 चन्द्रशेखर शर्मा
- 3-का० 280 मनोज नागर
- 4-का० 853 राशिद खान